185 25 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यपालकों का वेतन संशोधन –सीपीएसई के वेतन संशोधन प्रस्तावों के संदर्भ में वित्तीय सलाहकारों की भूमिका

आईडीए पैटर्न पर वेतनमानों का अनुपालन करने वाले सीपीएसई में 1.1.2007 से कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन से संबंधित इस विभाग के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02. 04.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 02 (70)/2008–डीपीई (डब्ल्यूसी) का संदर्भ मांगा गया है।

2. दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 17 में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई के निदेशक मंडल से भुगतान के लिए अपनी वहनीयता के आधार पर वेतन संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करना और अनुमोदन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को उसे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से राष्ट्रपति की ओर से एक निदेश जारी करेगा। संबंधित सीपीएसई को जारी किए गए राष्ट्रपति जी के निदेश की प्रतिलिपि लोक उद्यम विभाग को भी पृष्ठांकित की जाए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि संशोधित वेतनमानों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक सीपीएसई के संदर्भ में अलग से राष्ट्रपति की ओर से निदेश जारी किए जाने पर लागू किया जाएगा।

3. अलग–अलग सीपीएसई के कार्यपालकों के लिए वेतन संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते समय और राष्ट्रपति की ओर से निदेश जारी करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथानुमोदित और संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के जरिए सूचित किए गए वेतन संशोधन की कुछ प्रमुख विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत विहित विभिन्न सीमाएं निम्नानुसार हैं:

(i) दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सहमति के आधार पर परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए वेतन संशोधन से 12 माह की अवधि के लिए ऐसे संशोधनों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त बहिर्गमन सीपीएसई में कार्यपालकों के साथ–साथ गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकीय स्टाफ को शामिल करने पर उस सीपीएसई के वर्ष 2007–08 के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 20% से अधिक की गिरावट नहीं होनी चाहिए।

(ii) यथा लागू भत्तों और अनुलब्धियों की अधिकतम सीमा मूल वेतन के 50% के भीतर होगी।

(iii) अवसंरचना सुविधाओं के रखरखाव और प्रचालन पर आवर्ती व्यय की समायोजित राशि सभी कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के मूल वेतन के 10% तक सीमित की जाए।

(iv) अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति लाभों के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% की अधिकतम सीमा लागू होगी।

(v) चर वेतन के लिए अधिकतम सीमा दिनांक 26.11.2008 और 09.02.2009 के कार्यालय ज्ञापनों में यथाविहित कार्यपालक के ग्रेड, उसकी निष्पादन रेटिंग, सीपीएसई की एमओयू रेटिंग पर आधारित होगी।

(vi) किसी सीपीएसई के कुल पीआरपी की मात्रा भौतिक/वास्तविक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित होगी और इसका भुगतान सीपीएसई के लाभ से किया जाएगा । 60% पीआरपी का भुगतान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) की 3% की सीमा के साथ और 40% पीआरपी का भुगतान उत्तरोत्तर लाभ के 10% की सीमा के साथ किया जाएगा । तथापि कुल पीआरपी वर्ष के कर पूर्व लाभ के 5% तक सीमित होगी।

(vii) विभिन्न मदों के अंतर्गत उल्लिखित सीमाएं अधिकतम स्वीकार्य सीमाएं हैं। तथापि अधिकतम स्वीकार्य सीमाओं के विरूद्ध निम्नतर सीमाओं का प्रावधान राष्ट्रपति की ओर से जारी किए जाने वाले निदेशों में किया जा सकता है। यह संबंधित सीपीएसई की वहनीयता, भुगतान करने की क्षमता और प्रचालन के स्थायित्व के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।

4. ऐसा पाया गया है कि पिछले वेतन संशोधन (1997) को कार्यान्वित करते समय वेतन वृद्धि की दर सहित निर्धारित किए गए वेतनमानों में परिवर्तन/विचलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी विसंगतियां उत्पन्न हुईं। मंत्रियों की समिति ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और यह पाया है कि ऐसी विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है।

5. फिटमेंट के प्रयोजन से दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन में ऐसे विशिष्ट वेतन, वैयक्तिक वेतन, असाधारण वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) और/अथवा कार्यपालकों/ गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से उनके वेतन में वृद्धि का विशेष रूप से निषेध किया गया है, जो 01.01.2007 से वेतन संशोधन को प्रभावित करते हों।

6. प्रत्येक सीपीएसई को एक सुदृढ़ और पारदर्शी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास करना होगा। सीपीएसई को अपने अधिकारियों की ग्रेडिंग में ''बेल कर्व एप्रोच'' अपनानी होगी, जिससे कि 10% से 15% से अधिक कार्यपालकों को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रदान न की जा सके। इसी प्रकार 10% कार्यपालकों को ''पीएआर से नीचे'' ग्रेड दिए जाएं।

7. संशोधित दरों पर भत्ते 26.11.2008 अर्थात डीपीई के वेतन संशोधन पर कार्यालय ज्ञापन की तारीख से लागू होंगे, बशर्ते कि राष्ट्रपति जी की ओर से इस आशय के निदेश दिनांक 02.04.2009 के डीपीई के कार्यालय ज्ञापन की तारीख से एक माह के भीतर जारी कर दिए जाएं।

8. ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जो प्राकृतिक रूप से संपूर्ण नहीं हैं, परंतु इनका उल्लेख इसलिए किया जा रहा है ताकि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अपने नियंत्रणाधीन सीपीएसई के वेतन संशोधन संबंधी प्रस्तावों की तेजी से जांच सुनिश्चित कर सकें। पिछले वेतन संशोधन संबंधी दिशानिर्देशों के विपरीत इस वेतन संशोधन के

लिए राष्ट्रपति जी की ओर से निदेश सीपीएसई के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से जारी किए जाएं।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(76)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**VIII**/09, दिनांक 02 अप्रैल, 2009)

*****